हरियाणा सरकार

रक्षा सेवायें कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 मई, 1999

संख्या सा.का.नि.51/संवि.अनु.309/99.--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा रक्षा सेवायें कल्याण विभाग राज्य (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः--

भाग I – सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (1) ये नियम हरियाणा रक्षा सेवायें कल्याण विभाग राज्य (ग्रुप क) सेवा नियम, 1999, कहे जा सकते हैं ।

(2) ये राजपत्र में, उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

परिभाषायें :

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--

(क) "बोर्ड", से अभिप्राय है, जिला सैनिक बोर्ड ;

(ख) "आयोग" से अभिप्रायः है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ।

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(घ) "सरकार"से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ड) संस्था से अभिप्रायः हैः–

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय हैः–

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि–पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग, राज्य (ग्रुप क) सेवा ।

भाग–II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिक्ता, अधिवास तथा चरित्र :

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,––

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ड) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, कीनिया, यूगाण्डा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व) टंगानीका और जंजीबार (जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ड.) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह, समय–समय पर यथा संशाधित भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 36034/5/85–स्था (3 सी टी) दिनांक 14 अप्रैल, 1987 द्वारा यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक की व्याख्या के अधीन भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा में न आता हो ।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है । किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(4) कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक वह रक्षा सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति के समय सम्बन्धित रिकार्ड कार्यालय/ रक्षा मुख्यालय द्वारा जारी की गई डिस्चार्ज बुक/ सेवा विवरण प्रस्तुत नहीं करता :

परन्तु कोई अधिकरी, जिसकी सेवायें निम्न कारणों से समाप्त कर दी गइ्र हों:––

(i) विपरीत रिपोर्ट ; या

(ii) अनुशासनिक आधार ; या

(iii) दुराचरण ; तथा

(iv) अक्षमता ।

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि कोई कर्मचारी जो उचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा मानसिक रूप से असमर्थ प्रमाणित होने के कारण रक्षा सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए भी पात्र नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति के लिए पात्र होने वाला कोई अधिकारी रक्षा सेवा से सेवानिवृत्ति के समय पर चिकित्सा प्रवर्ग आई वन के वर्गीकरण का होना चाहिए । यद्यपि चिकित्सा प्रवर्ग आई वन अधिकारी की अप्राप्यता की दशा में निम्न चिकित्सा प्रवर्ग के अधिकारी जिसकी अयोग्यता सेना सेवा के कारण हुई है, पर विचार किया जा सकता है ।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को पच्चीस वर्ष की आयु से कम या पचपन वर्ष की आयु से अधिक का हो :

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में सभी पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेगी ।

योग्यतायें :

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट के खाना 3 में, तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हतायें तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में, अनुभव संबंधी अर्हताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर पचास प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे ।

अयोग्तायें :

8. कोई भी व्यक्ति,--

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढ़ंग :

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगीः––

(क) सचिव, जिला सैनिक बोर्ड की दशा में :–

(i) 50 प्रतिशत सहायक सचिव, जिला सेनिक बोर्ड में से पदोन्नति द्वारा ; और

(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ;

टिप्पणी : सचिव, जिला सैनिक बोर्ड का पद सहायक सचिव, जिला सैनिक बोर्ड के पद से अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों वाला है ।

(ख) सहायक सचिव, जिला सैनिक बोर्ड की दशा में ,––

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्टता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता की ऐसी पदोन्नतियों के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(3) जब कभी कोई रिक्ति होती है या होने वाली होती है, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रीति निर्धारित करेगा जिसमें यह रिक्ति भरी जायेगी ।

परिवीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर, नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा, नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु,––

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया हो ,परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोष्जनक न रहा हो तो, वह,––

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,––

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ;और

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा सेवा शर्तें अनुज्ञात करे ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा, अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,––

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,––

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया हो, तो स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ;या

(iii) यदि कोई अस्थाई रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ;या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,––

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, या यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या उसके सम्बन्ध

में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्टता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगीः

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्टता प्रत्येंक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगीः

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गये सदस्यों की दशा में रक्षा सेवा ज्येष्टता को, ज्येष्टता के रूप में मानी जायेगी :

परन्तु यह और भी कि एक ही तिथि। को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार निश्चित की जायेगी :

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ट होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ट होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्टता ऐसे सदस्यों की ऐसी नियुक्तियों में ज्येष्टता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनमें से वे पदोन्नति या स्थानान्तरण किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ट होगा

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के सदस्य को नीचे लिखे अनुसार भी सेवा के लिये प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है :-

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित है या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अर्न्तराष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो ; अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्ति नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले :

13. वेतन, छुट्टी, पैशंन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध मे जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप में उपबन्ध नही किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियत्रित होगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा उसके बाद अपनाये या बनाये जायें ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है :

ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए

सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है ।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा या पुनः लगवायेगा ।

राज्य निष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राज्यनिष्टा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

ढील देने की शक्ति :

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढ़ील देना आवश्यक या उचित हो, वहां यह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध :

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृति :

20. हरियाणा जिला सैनिक, नौ सैनिक तथा वायु सैनिक बोर्ड सेवा (राज्य सेवा ग्रुप–क) नियम, 1969, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार के निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या स्थाई	अस्थाई	कुल	वेतनमान
1.	सचिव	12	7	19	6500-200-8500-दक्षतारोध-200-10500 रूपये
2.	सहायक सचिव जिला सैनिक बोर्ड	12	7	19	6500-200-8500-दक्षतारोध-200-10500 रूपये

परिशिष्ट ख
(देखिये नियम 7)

क्रम	पद नाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव,यदि कोई हो
1-	सचिव,जिला सैनिक बोर्ड	(i) सेवानिवृत्त कर्नल,लै. कर्नल या लै.कर्नल (टाईम स्केल) या मेजर (सबस्टैंटिव) अथवा थल सेना अथवा वायु सेना के बराबर के भूतपूर्व नियमित कमीशन्ड अधिकारी जो भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा में आते हैं । (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	<u>**पदोन्नति द्वारा**</u> सहायक सचिव (जिला सैनिक बोर्ड) के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–– (i) सेवानिवृत्त कर्नल,लै.कर्नल या लै. कर्नल (टाईम स्केल) या मेजर (सबस्टैंटिव) अथवा जल सेना अथवा वायु सेना के बराबर के भूतपूर्व नियमित कमीशन्ड अधिकारी जो भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा में आते हैं । (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान
2-	सहायक सचिव, जिला सैनिक बोर्ड	(i) मेजर अथवा कप्तान जल सेना अथवा वायु सेना रैंक के भूतपूर्व नियमित कमीशन्ड अधिकारी जो भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा में आते हैं । उक्त श्रेणी के नियमित कमीशन्ड अधिकारी के उपलब्ध न होने पर भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन्ड अधिकारी अथवा अल्प सेवा कमीशन्ड अधिकारी विचारे जा सकते हैं । 10 वर्ष की सेवा वालों को प्राथमिकता दी जाएगी । (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	**स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ––** (i) मेजर अथवा कप्तान अथवा जल सेना अथवा वायु सेना रैंक के भूतपूर्व नियमित कमीशन्ड अधिकारी जो भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा में आते हैं । उक्त श्रेणी के नियमित कमीशन्ड अधिकारी के उपलब्ध न होने पर भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन्ड अधिकारी अथवा अल्प सेवा कमीशन्ड अधिकारी विचारे जा सकते हैं । 10 वर्ष की सेवा वालों को प्राथमिकता दी जाएगी । (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

परिशिष्ट ग
((देखिये नियम 14(1))

क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियो का स्वरूप	शास्ति लगाने के सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड	सरकार	**लघु शास्तियाँ** (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;	सरकार
2.	सहायक सचिव, जिला सैनिक बोर्ड ।		(ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के, पास है या संसद या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्व-विद्यालय को धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना, **बड़ी शास्तियां** (vi) संचयी प्रभाव सहित वेतनवृद्धियां रोकना ; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर, अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान	

वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;

(viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर या, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था पदोन्नति के लिये साधारण रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा के सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ;

(ix) अनिवार्य सेवानिवृत्ति ;

(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;

(xi) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरर्हता होगी ।

परिशिष्ट घ

((देखिये नियम 14(2))

क्रम संख्या	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश प्राप्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड	(i)पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	सरकार	
2.	सहायक सचिव, जिला सैनिक बोर्ड	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति		

राम एस. वर्मा,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.) MAY 26, 1999
(Authorised English Translation)

HARYANA GOVERNMENT

DEFENCE SERVICES WELFARE DEPARTMENT
Notification

The 24th May, 1999

No.GSR 51/Const./Art. 309/99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Defence Service Welfare Department State (Group A) Service namely :-

PART-I—GENERAL

Short title and commencement :

1. (1) These rules may be called the Haryana Defence Service Welfare Department State (Group A) Service Rules, 1999.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions :

2. In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Board" means the Zila Sainik Board;

(b) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in service of the Government of India or any State Government;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(e) "institution means,--

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;

(f) " recognised University" means,--

(i) any University incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Panjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other University which is declared by Government to be a recognized University for the purpose of these rules;

(g) "Service" means the Haryana Defence Services Welfare Department State (Group A) Service.

PART-II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts :

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix-A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidate appointed to service :

4. (i) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is,--

(a) A citizen of India; or
(b) a subject of Nepal; or
(c) a subject of Bhutan; or
(d) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United republic of Tanzania (formerly) Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) No person shall be appointed to any post in the Service unless he is an ex-serviceman covered under the expression of ex-serviceman as defined by the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training,-- vide letter No.36034/5/85-Estt(3CT), dated 14th April, 1987 as amended from time to time.

(3) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(4) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment unless he produces the discharge book/service particulars issued by the concerned Records Office/ Army Head Quarters at the time of his discharge from Defence Service:

Provided that any Officer whose services have been terminated from Defence Service as a result of :-

(i) an adverse report ; or

(ii) disciplinary grounds ; or

(iii) misconduct ; or

(iv) inefficiency ;

shall not be eligible for appointment to any post in the service :

Provided further that any Officer who has been retired from Defence service on account of mental incapacity, certified by proper medical authority shall also not be eligible for appointment to any post in the Service.

(5) An officer to be eligible for appointment shall also bear classification of medical category AYE-ONE as at the time of discharge from the Defence Services. However, low medical category officers whose disability is attributable to Military Service may be considered in case of non-availability of medical category Aye-one officers.

Age :

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than twenty five years or more than fifty five years of age on the last date of submission of application to the Commission or any other recruiting authority.

Appointing Authority :

6. All appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications :

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix-B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of recruitment other than by direct recruitment:

Provided that in case of direct recruitment the qualification regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled Castes, Backward Classes and Physical Handicapped categories possessing the requisite experience, are not

available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications :

8. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment :

9. (1) Recruitment to the Service shall be made –

(a) in the case of Secretary, Zila Sainik Board –

(i) 50% by direct recruitment ; and

(ii) 50% by promotion from amongst Assistant Secretaries, Zila Sainik Board; or

(iii) by transfer or deputation of an official already on the Service of any State Government or the Government of India;

Note.— The post of Secretary, Zila Sainik Board involves the assumption of duties and responsibilities of greater importance than those of the post of Assistant Secretary, Zila Sainik Board.

(b) in the case of Assistant Secretary, Zila Sainik Board--

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

(3) As and when any vacancy occurs or is about to occur unless otherwise provided, the appointing authority shall determine the manner in which the same shall be filled in.

Probation :

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise;

Provided that—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation :

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as a period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may:-

(a) If such person is appointed by direct recruitment dispense with his service : and

(b) If such person is appointed otherwise then by direct recruitment-

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,--

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory :

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,--

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment ; if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the term and conditions of his previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority :

11. Seniority, inter se of members of service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the service, seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment on the same date, the Defence Service seniority shall be taken as the seniority :

Provided further that in case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointment from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve :

12(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the service may also be deputed to serve as under:-

(i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the state Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government, a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other state Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Central Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any Organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters:

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals :

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under articles 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix-C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (i) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix-D to these rules.

Vaccination :

15. Every member of the Service shall got himself vaccinated or re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance :

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation :

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision :

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations :

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concession required to be provided for Scheduled castes, backward Classes, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and savings :

20. The Haryana District Soldiers, Sailors and Airmen's Board Service (State Service Group-A) Rules, 1969 are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPEXDIX A

(See rule 3)

Sr.No.	Designation of posts	Number of Posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Secretary, Zila Sainik Board	12	7	19	Rs.6500-200-8500-EB-200-10500
2.	Assistant Secretary	12	7	19	Rs.6500-200-8500-EB-200-10500

APPENDIX B
(See rule 7)

Sr.No.	Designation of Posts and experience, if any for direct recruitment	Academic Qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1.	2.	3.	4.
1.	Secretary, Zila Sainik Board	(i) Ex-Regular Commissioned Officers covered under the definition of Ex-servicemen of the rank of Col. or Lt.Col. (Time Scale) or Major (Substantive) or an officer of equivalent rank from Navy or Air Force; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard	**By Promotion –** 5 years experience as Assistant Secretary, Zila Sainik Board. **By Transfer or deputation** (i) Ex-Regular Comissioned Officers covered under the definition of ex-servicemen of the rank of Col. or Lt.Col. or Lt.Col.(time Scale) or Major (Substantive) or an Officer of equivalent rank from Navy or Air Force ; (ii) Knowledge of Hindi upto MAtric Standard.
2.	Assistant Secretary, Zila Sainik Board	(i) Ex-Regular Commissioned Officers covered under the definition of Ex-servicemen of the rank of Major or Capt. or an officer of equivalent rank in Navy or Air Force. Ex-Emergency Commissioned Officer or Short Service Commissioned Officer (Perferably) with minimum 10 years service) may be	**By transfer or deputation –** (i) Ex-Regular Commissioned Officers covered under the definition of Ex-servicemen of the rank of Major or Capt. or an officer of equivalent rank from Navy or Air Force. Ex-Emergency commissioned Officer or Short Service Commissioned Officer

		considered in the event of non-availability of above category of Ex-Regular Commissioned Officer ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard	(Perferably) with minimum 10 years service) may be considered in the event of non-availability of above category Regular Commissioned Officer ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard

APPENDIX C
(See rule 14(1))

Sr.No.	Designation of Posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty
1	2	3	4	5
1. 2.	Secretary, Zila Sainik Board Assistant Secreatry, Zila Sainik Board	Government	MINOR PENALTIES (i) warning with a copy in the personal file (Character roll); (ii) Censure ; (iii) withholding of promotion ; (iv) recovery from pay of the whole or part of pencuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State. Government, or a company or an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to local authority or University set up by an Act or Parliament or of the Legislature of a State; and (v) withholding or incements of pay without cukulative effect; (MAJOR PENALTIES) (vi) Withholding of increments of pay	Government

			with cumulative effect ; (vii) reduction to a lower state in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the further increments of his pay ; (viii) reduction to a lower scale of pay, grade post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, to that grade, post or service;	

			(ix) compulsory retirement ; (x) removal from service which shall not be disqualification for further employment under Government, and (xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification under the Government.	